



कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बथुआ, गॉंधीघाट, नकहरा रोड, मीरजापुर

E-mail id- jalnigam3@gmail.com

Mo no. - 9479942677

पत्रांक- 5866 / लेदुकी- / 221 दिनांक 28/09/22

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग,
मीरजापुर।

विषय- जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल मिशन योजना के तहत लेदुकी ग्राम समूह पेयजल हेतु प्रस्तावित ओवरहेड टैंक एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित 3.3169 हे0 वन भूमि (3.1219 हे0 आरक्षित एवं 0.195 हे0 संरक्षित) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, का पत्रांक-8बी/यू0पी0/08/173/2022/एफ0सी0/292 दिनांक 26.07.2022 ।
2-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-366/11-सी-FP/UP/water/148758/2021, लखनऊ दिनांक 27.07.2022 ।
3- आपका कार्यालय पत्रांक-333/मी0/15 दिनांक 29.07.2022 एवं पत्रांक-822/मी0/15 दिनांक 06.09.2022 ।

महोदय,

जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल मिशन योजना के तहत लेदुकी ग्राम समूह पेयजल हेतु प्रस्तावित ओवरहेड टैंक एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित 3.3169 हे0 वन भूमि (3.1219 हे0 आरक्षित एवं 0.195 हे0 संरक्षित) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में 8 बिन्दु की आपत्ति भारत सरकार द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निवारण करते हुये मय अभिलेखों सहित संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निवारण
1	2	3
1-	As per the SOI toposheet the demarcation of forest area proposed for diversion in undervalued .	पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित वन क्षेत्रों के सम्पूर्ण भाग को सीमांकित किया गया है, जिसकी के0एम0एल0 फाइल एवं टोपोशीट संलग्न है। (संलग्नक-1)
2-	Some part of the forest area are demarcated as non forest this need to be rectified .kml file of the entire route (forest and Non- forest) needs to be submitted in polygon format.	पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्र को सीमांकित कर पॉलिगन फारमेट में के0एम0एल0 फाइल संलग्न है (संलग्नक-2)।
3-	As area proposed for diversion is crossing Road, River & Canal, so NOCs from concerned Department (NHAI/ PWD, Irrigation etc.) needs to be submitted.	सम्बन्धित विभागों (PWD, Irrigation) विभाग से आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।

	CA scheme has been provided for an area of 3.1219 ha. NFL however, total area proposed for diversion in 3.3169 ha. (3.1219 ha.- RF 0.195 ha. PF) this needs clarification .	परियोजना में 3.1219 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित है , जिसके बदले 3.1219 हे० गैर वन भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्हित है तथा 0.195 हे० सड़क पटरी प्रभावित हो रही है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 27.07.2020 एवं दिनांक 03.11.2021 में कतिपय शर्तों के अधीन छूट प्रदान है। इस प्रकार भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित है।
5	Compoment wise breakup of entire land needs to be submitted.	सम्पूर्ण भूमि 46.5679 हे० का घटकवार विवरण संलग्न है। (संलग्नक-4)
6—	Total forest land as per area calculation sheet is 3.1219 ha. Which is not matching with the area proposed for diversion (3.3169 ha.) This needs clarification /rectification.	वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 15 से 22 पर संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, एवं पृष्ठ संख्या— 31 से 38 पर संलग्न लैंड शेड्यूल तथा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पृष्ठ संख्या— 23 पर संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना से प्रभावित आरक्षित वन भूमि 3.1219 हे० एवं संरक्षित (सड़क पटरी) वन भूमि का क्षेत्रफल 0.195 हे० है इस प्रकार कुल वन भूमि 3.3169 हे० है। (संलग्नक संख्या-5)
7—	Complete Plan supply of water to the said village needs to be submitted. All components needs to be depicted in kml file.	परियोजना से सम्बन्धित ग्रामों को पानी की आपूर्ति की घटकवार पूरी योजना की के०एम०एल० फाइल है, जो संलग्नक संख्या-1 में प्रदर्शित है।
8—	An undertaking needs to be submitted by the User agency stating that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project and that no subsequent proposal shall be initiated for the same purpose involving the same area.	प्रस्तावक द्वारा इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है कि उक्त परियोजना आवश्यकता हेतु अपेक्षित सम्पूर्ण वन भूमि, प्रस्ताव में सम्मिलित कर ली गयी है तथा उक्त परियोजना हेतु अन्य कोई प्रस्ताव वाद में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। (संलग्नक संख्या-6)

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय

अधिशाली अभियंता,

पृष्ठ संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
2. श्री श्यामबचन, सहायक अभियंता ।
3. टीम लीडर, पी०एम०सी०, थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा०लि०, मीरजापुर।
4. जी०वी०आर० इंजीनियर्स लिमिटेड,लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना मीरजापुर।

अधिशाली अभियंता,